बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0-15/आरोप (रोहतास) 02-06/2025-.......................(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-..........................

श्री चन्दन कुमार, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सासाराम के विरूद्ध बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक-387 दिनांक-15.05.2025 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य स्थल अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने, कर्तव्यहीनता, मनमाने रवैया, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-955(15), दिनांक-12.06.2025 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-2319 दिनांक-28.11.2025 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में क्षेत्रभ्रमण का हवाला देते हुए अपने बचाव का असफल प्रयास किया गया है, क्योकि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव के समर्थन में क्षेत्र भ्रमण के संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किन तिथियों को उनके द्वारा किस प्रयोजन से किस क्षेत्र का भ्रमण किया गया है? क्षेत्र भ्रमण के लिए आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी को लिखित सूचना/जानकारी देते हुए क्षेत्र भ्रमण किया जाना चाहिए था जो आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण साक्ष्य विहीन एवं बनावटी प्रतीत होता है। साथ ही अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में बंदोबस्त पदाधिकारी, सासाराम द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया जाना आरोपी पंदाधिकारी के मनमानेपन, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का परिचायक है। अतः आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "निन्दन" एवं "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक" का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री चन्दन कुमार, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सासाराम सम्प्रति अंचल अधिकारी, पटना सिटी, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(i) के तहत **"निन्दन"(आरोप वर्ष-2024-25) एवं** नियम-14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक"** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Chandan kr (ASO_Sasaram)_Nindan_संचयी प्रभाव के बिना 1.doc

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (रोहतास) 02–06/2025–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............................

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को उनके पत्रांक–387 दिनांक–15.05. 2025 के प्रसंग में/समाहर्त्ता, पटना एवं सासाराम/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना एवं सासाराम/श्री चन्दन कुमार, अंचल अधिकारी, पटना सिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (रोहतास) 02–06/2025–412(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–23/03/2026

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल में**)/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री चन्दन कुमार** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

20/3/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।